

अंतरराज्यीय परिषद

प्रलिस के लयः

अंतरराज्यीय परिषद, सरकारया आयोग, अनुच्छेद 263

मेन्स के लयः

अंतरराज्यीय परिषद और मुददे, केंद्र-राज्य संबध, अंतरराज्यीय संबध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में, [अंतरराज्यीय परिषद \(ISC\)](#) का पुनर्गठन कया गया है जसमें प्रधानमंत्री अध्यक्ष के रूप में और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और छह केंद्रीय मंत्री सदस्य के रूप में होते हैं।

- दस केंद्रीय मंत्री अंतरराज्यीय परिषद में स्थायी रूप से आमंत्रित होंगे।
- सरकार ने अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री के साथ अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समिति का भी पुनर्गठन कया है।
 - **आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश** के मुख्यमंत्री भी अंतर-राज्य परिषद की स्थायी समिति के सदस्य हैं।

अंतरराज्यीय परिषद:

- **पृष्ठभूमि:**
 - केंद्र सरकार ने **केंद्र और राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के कार्यकरण की समीक्षा** करने के लिये न्यायमूर्ति आर.एस. सरकारया की अध्यक्षता में वर्ष 1988 में एक आयोग गठित कया था।
 - **सरकारया आयोग** ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अनुसार परिभाषित अधिदेश के अनुसरण में परामर्श करने के लिये एक स्वतंत्र राष्ट्रीय फोरम के रूप में **अंतरराज्यीय परिषद स्थापति** कयि जाने की महत्त्वपूर्ण सफारिश की थी।
- **परचिय:**
 - अंतरराज्यीय परिषद को **राज्यों के बीच उत्पन्न होने वाले विवादों की जाँच** करने और सलाह देने, कुछ या सभी राज्यों या केंद्र एवं एक या अधिक राज्यों के समान हति वाले **वषियों की पडताल तथा वमिर्श** करने का अधिकार है।
 - यह इन वषियों पर **नीति और कार्रवाई के बेहतर समन्वय के लिये सफारिशें** भी करता है, राज्यों के सामान्य हति के मामलों पर वचिर-वमिर्श करता है, जसि इसके अध्यक्ष द्वारा संदर्भित कया जा सकता है।
 - यह राज्यों के सामान्य हति के अन्य मामलों पर भी वचिर करता है, जो परिषद के अध्यक्ष द्वारा भेजा गया हो।
 - परिषद की एक वर्ष में कम-से-कम तीन बार बैठक हो सकती है।
 - परिषद की एक स्थायी समिति भी होती है।
- **संगठन:**
 - अध्यक्ष- प्रधानमंत्री
 - सदस्य- सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
 - विधानसभा वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और विधानसभा नहीं रखने वाले केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासक तथा राष्ट्रपति शासन (जम्मू-कश्मीर के मामले में राज्यपाल शासन) के तहत राज्यों के राज्यपाल सदस्य।
 - प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत केंद्रीय मंत्रपरिषद में कैबिनेट रैंक के छह मंत्री।

अंतरराज्यीय परिषद के कार्य:

- देश में **सहकारी संघवाद** को बढ़ावा देने और उसका समर्थन करने के लिये एक मज़बूत संस्थागत ढाँचा तैयार करना तथा नियमिति बैठकें आयोजित करके परिषद व क्षेत्रीय परिषदों को सक्रिय करना।

- क्षेत्रीय परिषदों और अंतरराज्यीय परिषद द्वारा केंद्र-राज्य तथा अंतर-राज्य संबंधों के सभी लंबित व उभरते मुद्दों पर वचिार करने की सुवधि प्रदान करता है।
- उनके द्वारा प्रस्तुत सफिारशियों के कार्यान्वयन की नगिरानी के लयि एक प्रणाली वकिसति करना।

अंतरराज्यीय परिषद की स्थायी समतिः

■ परिचयः

- इसकी स्थापना वर्ष 1996 में परिषद के वचिारार्थ मामलों के नरिंतर परामर्श और प्रसंस्करण के लयि की गई थी।
- इसमें नमिनलखित सदस्य होते हैंः (i) केंद्रीय गृह मंत्री अध्यक्ष के रूप में (ii) पाँच केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (iii) अंतरराज्यीय परिषद सचविालय की सहायता हेतु नौ मुख्यमंत्रियों की एक परिषद।
- यह सचविालय वर्ष 1991 में स्थापति कयिा गया था और इसका नेतृत्व भारत सरकार के एक सचवि द्वारा कयिा जाता है। वर्ष 2011 से यह क्षेत्रीय परिषदों के सचविालय के रूप में भी कार्य कर रहा है।

■ कार्यः

- स्थायी समति के पास परिषद के वचिार के लयि नरिंतर परामर्श और प्रक्रयिा संबंधी मामले होंगे, केंद्र-राज्य संबंधों से संबंधति सभी मामलों को अंतर-राज्य परिषद में वचिार करने से पहले संसाधति करना।
- स्थायी समति परिषद की सफिारशियों पर लयि गए नरिणयों के कार्यान्वयन की नगिरानी भी करती है तथा अध्यक्ष या परिषद द्वारा संदर्भति कसिी अन्य मामले पर वचिार करती है।

अंतरराज्यीय संबंध को बढावा देने वाले अन्य नकियायः

■ क्षेत्रीय परिषदः

- क्षेत्रीय परिषदें वैधानकि (संवैधानकि नहीं) नकियाय हैं। ये संसद के एक अधनियिम, यानी राज्य पुनर्र्गठन अधनियिम 1956 द्वारा स्थापति कयि गए हैं।
- इस अधनियिम ने देश को पाँच क्षेत्रों- उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी में वभिाजति कयिा तथा प्रत्येक क्षेत्र के लयि एक क्षेत्रीय परिषद प्रदान की।
 - इन क्षेत्रों का नरिमाण करते समय कई कारकों को ध्यान में रखा गया है जनिमें शामिल हैंः देश का प्राकृतकि वभिाजन, नदी प्रणाली और संचार के साधन, साँस्कृतकि व भाषायी संबंध तथा आर्थकि वकिस, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की आवश्यकता।
- उत्तर-पूर्वी परिषदः उत्तर-पूर्वी राज्य (i) असम, (ii) अरुणाचल प्रदेश, (iii) मणपुर, (iv) त्रपुरा, (v) मजोरम, (vi) मेघालय और (vii) नगालैंड, क्षेत्रीय परिषदों में शामिल नहीं हैं तथा उनकी वशिष समस्याओं को **उत्तर-पूर्वी परिषद** द्वारा नरिंतरति कयिा जाता है, जसि उत्तर-पूर्वी परिषद अधनियिम, 1972 के तहत स्थापति कयिा गया था।

■ अंतर-राज्यीय व्यापार और वाणजियः

- **संवधान का भाग XIII, अनुच्छेद 301 से 307** भारतीय क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणजिय और मेल-जोल से संबंधति है।

■ अंतरराज्यीय जल वविादः

- **संवधान का अनुच्छेद 262** अंतरराज्यीय जल वविादों के न्यायनरिणयन का प्रावधान करता है।
- यह दो प्रावधान करता हैः
 - संसद कानून द्वारा कसिी भी अंतरराज्यीय नदी और नदी घाटी के जल के उपयोग, वतिरण तथा नरिंतरण के संबंध में कसिी भी वविाद या शकियात के न्यायनरिणयन का प्रावधान कर सकती है।
 - संसद यह भी प्रावधान कर सकती है कि इस तरह के कसिी भी वविाद या शकियात पर सर्वोच्च न्यायालय सहति कसिी भी अन्य न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

आगे की राह

- यद अंतर-राज्य परिषद को अंतर-राज्यीय संघर्षों को हल करने के लयि प्राथमकि संस्थान बनना है, तो **उस्रहले नयिमति बैठक कार्यक्रम तैयार** करना होगा।
- भारतीय संघ में **अभी संस्थागत अंतर** है और अंतरराज्यीय संघर्षों के नरिंतरण से बाहर होने से पहले इसे भरने की जरूरत है।
- परिषद के पास एक **स्थायी सचविालय** भी होना चाहयि जो यह **सुनशिचति कर सके कि आवधकि बैठकें अधकि उपयोगी हों**।

स्रोतः द हट्टू